संख्या– /18(2)/2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाकः\3 जनवरी, 2009

विषय–एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को तहसील विकास नगर के ग्राम झाझरा में सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को शासनादेश संख्या–794/18(1)/2008 दिनांक–21 अगस्त, 2008 के द्वारा तहसील विकासनगर परगना पछवादून के ग्राम ईस्ट होप टाउन तथा ग्राम झाझरा में कुल 6 है0 पट्टे पर आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग हेतु आपके कार्यालय के प्रस्ताव/पत्र संख्या–79/12ए–09(2008–2011) डी0एल0आर0सी0 दिनांक–11 नवम्बर, 2008 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09 मई, 1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार तहसील विकासनगर, जिला देहरादून के ग्राम झाझरा के खसरा नं0–1166मि0 रकबा 0.4580 है0 भूमि वर्तमान बाजार दर की दो गुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एकमुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुज़ारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत कर एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को उक्त वर्णित पूर्व में पट्टे पर आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्टस एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इस नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

.....2

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी, तो भूमि निर्माण(Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नही होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गनाइजेशन(संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

(7) भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/विभाग की अनापत्ति(अनापत्तियॉ) प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के लिए ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

69

पृष्ठांकन सं0– (1)/तद्दिनाक/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–सचिव सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3–आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी।
4–श्री ए0एम0 बहुगुणा, ब्रिगेडियर(अ0प्रा0), निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, अंजली विहार, अजबपुर कला, देहरादून।
5–डायरेक्टर जनरल, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, एयरफोर्स स्टेशन, नई दिल्ली–110003
6–मेजर जनरल श्री मोहन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, साउथ हटमेन्ट, कश्मीर हाउस, राजा मार्ग नई दिल्ली।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।